रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122022-241078 CG-DL-E-14122022-241078

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 657] No. 657] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2022/अग्रहायण 23, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022/AGRAHAYANA 23, 1944

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

फा. सं. यू.-11022/4/2022 - यूजीएमईबी.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की धारा 61 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, 'मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमन, 1999' को पुनः संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है. नामत:

- (i) इन विनियमों को मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमन (संशोधन), 2022 कहा जाएगा।
 - (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. 'अर्हक मापदंड' शीर्षक के अंतर्गत खंड 2 (5क) में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अर्थ के भीतर विश्वविद्यालयों अथवा मानित विश्वविद्यालयों, जिनके पास भारत में कहीं भी पूर्णतः कार्यात्मक मान्यताप्राप्त मेडिकल कॉलेजों एवं 1000 या उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना करने और उन्हें कम से कम दो वर्षों तक चलाने का अनुभव है, के मामले में कम से कम दो वर्षों की अविध के लिए पूर्णतः कार्यात्मक अस्पताल की शर्त लागू नहीं होगी, बशर्ते कि :-

- (i) अस्पताल और मेडिकल कॉलेज दोनों के भवन का स्वामित्व और प्रबंधन उसी संगठन का हो।
- (ii) नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के (एनएमसी) चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड पूर्व से करने आवेदन को (एमएआरबी) प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के भवन का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया गया हो, और

8339 GI/2022 (1)

(iii) आवेदन के समय संगठन के पास कम से कम 1000 रोगी बिस्तरों वाला बहु–विशेषज्ञता अस्पताल स्थापित हो तथा मेडिकल कॉलेज की स्थापना, विनियमन 1999 के अंतर्गत अन्य सभी मापदंडों को पूरा करता होना चाहिए।

डॉ. संध्या भुल्लर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./478/2022-23]

टिप्पणी: प्रधान विनियमावली, नामत: 'मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमन, 1999', जिसे 28 अगस्त, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अधिसूचना संख्या 34(41)/98-मेड. के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 22.10.1999, 01.08.2008, 26.08.2009, 22.10.2009, 13.11.2009, 02.02.2010, 26.02.2010, 16.04.2010, 14.10.2011, 04.06.2012, 01.10.2012, 19.03.2014, 22.08.2014, 19.10.2015, 14.01.2016, 01.02.2016, 08.02.2016, 31.01.2017, 01.06.2017, 03.07.2017, 05.02.2019, 14.05.2019, 27.06.2019 और 28.10.2020 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

NATIONAL MEDICAL COMMISSION AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2022

- **F. No. U-11022/4/2022-UGMEB.**—In exercise of the powers conferred by Section 10(A) read with Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), and section 61(2) of the National Medical Commission Act, 2019, the National Medical Commission hereby makes the following Regulations to further amend the "Establishment of Medical College Regulations, 1999" namely: -
- 1. (i) These Regulations may be called the "Establishment of Medical College Regulations, (Amendment), 2022.
 - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In clause 2(5A), under the heading "QUALIFYING CRITERIA", the following shall be added:-

The condition of 'fully functional hospital for a minimum period of 2 years' shall not apply in case of Universities or deemed to be universities within the meaning of University Grants Commission Act, 1956, having experience of establishing and running fully functional recognized medical colleges and hospital of 1000 beds or more, for at least two years, anywhere in India, provided that:-

- (i) The building of both the hospital and the medical college is owned and managed by the same organization.
- (ii) The building of the proposed medical college has not been used for any other purpose before making an application to the Medical Assessment and Rating Board (MARB) of National Medical Commission (NMC) for establishment of new medical colleges, and
- (iii) At the time of application, the said medical college has an established multi-specialty hospital with at least 1000 in-patient beds and fulfilling all other norms under the regulation.

Dr. SANDHYA BHULLAR, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./478/2022-23]

Note : The Principal Regulations namely, "Establishment of Medical College Regulations, 1999" were published in Part – III, Section 4 of the Gazette of India on the 28th August, 1999, vide Medical Council of India notification No.34(41)/98-Med. and amended vide notification dated 22/10/1999, 01/08/2008, 26/08/2009, 22/10/2009, 13/11/2009, 02/02/2010, 26/2/2010, 16/4/2010, 14/10/2011, 04/06/2012, 01/10/2012, 19/03/2014, 22/08/2014, 19/10/2015, 14/01/2016, 01/02/2016, 08/02/2016, 31/01/2017, 01/06/2017, 03/07/2017, 05/02/2019, 14/05/2019, 27/06/2019 and 28/10/2020.